# न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस)

अपील संख्या 53/14 (अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट)

1–चांद मौहम्मद पुत्र नन्ने खां | अकवाम मुसलमान निवासीयान बछामदी
2–दौलत खान पुत्र वेदो खां | तहसील व जिला भरतपुर
3–अनवर हुसैन पुत्र कलुआ खां |
4–वी खां पुत्र वजीर खां |

.................... अपीलाण्टस

बनाम

1–राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय बछामदी जरिये प्रधानाध्यापक श्रीमती पुष्पा शर्मा
2–तहसीलदार भरतपुर

.............. रैस्पोडेन्टस

उपस्थिति :–
श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, एडवोकेट, अपीलान्टस
राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

## निर्णय

दिनांक 07.06.2022

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 41/2013 उनवानी चांद मोहम्मद बनाम राजकीय में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध अपीलांटस की आरे से एक अपील इस आशय से पेश की गयी कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलांटस अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं जिनके कब्रिस्तान ग्राम बछामदी, बझेरा एवं नौंह के पूर्वजों के समय से ही ग्राम बछामदी के खसरा नं 1362 में चले आ रहे हैं। इन तीनों गांवों के मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की पुरानी कब्रें भी इसी खसरा नं0 में हैं। इस समुदाय के व्यक्तियों के मुर्दों को दफनाने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। रेस्पोडंट संख्या 1 को गत खसरा नं0 1360 में एक बीघा एक विस्वा रकवा का आवंटन 23.06.1973 को किया गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने भूल से आवंटित खसरा नं 1362 के स्थान पर 1360 का नामांतकरण रेस्पो संख्या 1 के नाम पर स्वीकृत कर दिया। उक्त खसरा न के नये नं 1210 व 1216 से 1220 बने हैं जो कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जबकि आवंटन साबिक खसरा नं 1360 में होने के कारण इससे बने नये नंबरों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने चाहिए थे। उक्त रिकार्ड के आधार पर रेस्पो संख्या 1 साबिक खसरा नं 1362 से बने नये नंबरों पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं इस कारण मौके पर अशांति होने की संभावना के साथ–साथ तनाव भी बना हुआ है। इस कारण अप्रार्थी को आवंटित साबिक खसरा नं 1360

16/6/2022

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...सका ग्राम बछामदी से बने नये नंबरों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने ...सरा नं 1362 से बने नये खसरा नं 1210 व 1216 से 1220 से अप्रार्थी संख्या 1 का ...राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जायें। अपील में यह इस्तदुआ की गयी कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 14.03.2014 खारिज कर गत खसरा नं 1362 से बने खसरा नं 1210 व 1216 से 1220 ग्राम बछामदी तहसील भरतपुर को रेस्पो नं 1 के खाते से हटा कर रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी रेस्पो संख्या 1 के नाम विद्यालय हेतु आवंटित साबिक खसरा नं 1360 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ग्राम बछामदी से बने नये नंबर की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं गत खसरा नं 1362 से बने नये नंबर जिनमें की कब्रिस्तान बने हुये हैं पर कोई अतिक्रमण निर्माण नहीं करने व अपीलांटस को मुर्दे दफनाने से नहीं रोकने के आदेश दिये जायें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पो की तलबी जरिये सम्मन की गयी व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गयी जिस पर रेस्पो संख्या 1 विधिवत तामील होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा रेस्पो संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि ग्राम बछामदी के खसरा नंबर 1360 जिसका आवंटन रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 23–6–1973 को किया गया था, के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नंबर 1362 का नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त खसरा नंबर पर अपीलाण्ट के पूर्वजों के कब्रिस्तान पूर्व से बने हुए हैं जो कि बछामदी, बझेरा व नौह के ग्रामवासियों के काम में आ रहे हैं। साबिक खसरा नंबर 1362 के नये नंबर 1210 व 1216 से 1220 बने हैं जो कि पूर्व में खोले गये नामान्तकरण के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम रिकार्ड में चले आ रहे हैं जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित खसरा नंबर 1360 से बने नये नंबर रेस्पो संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने चाहिए थे। उक्त तथ्य अपीलांटस की ओर से अदालत मातहत की जानकारी में भी लाये गये थे परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त किया जावे तथा खसरा नंबर 1362 जिसके हाल खसरा नंबर 1210 व 1216 से 1220 वाके बछामदी तहसील व जिला भरतपुर को राजस्व रेकार्ड से रेस्पोडेन्ट के नाम से हटाकर कब्रिस्तान दर्ज किया जावे व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित खसरा नंबर 1360 से बने हाल खसरा नंबर को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

वकील अपीलाण्ट की बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त रेकार्ड तथा दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी तरह की कोई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नता या अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन दिनांक 14.03.2014 यथावत रखा जावे।

अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाण्ट की ओर से अदालत मातहत में भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत ने अपीलाण्ट व रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गत आराजी खसरा नंबर 1362 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन दर्ज है। संवत् 2018 में भी नकल जमाबंदी में भी मकबूजा गैर मुमकिन दर्ज है। कहीं भी कोई प्रविष्टि कब्रिस्तान की नही है। वक्फ सम्पत्ति पर दावा लाने के लिये इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद, भरतपुर सक्षम है। प्रार्थीगण दावा करने के लिए सक्षम नही हैं। खसरा नंबर 1210, 1216 से 1220 रकबा 0.96 हैक्टेयर राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय, बछामदी खातेदार दर्ज है। मौके पर विद्यालय भवन है जिसमें विद्यालय संचालित है। प्रार्थीगण के कब्रिस्तान का अंकन नही है। भूप्रबंध समाप्ति के बीस वर्ष बाद भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में आरआरडी 1990 पेज–441 पर प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये यह अंकन किया कि भूप्रबंध की कार्यवाही के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी को भूप्रबंध विभाग द्वारा तैयार किये गये रेकार्ड में दुरस्ती करने का कोई अधिकार नही है। इसी प्रकार निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूप्रबंध समाप्ति के पश्चात् पीडित पक्षकार के पास एकमात्र उपचार नियमित वाद पेश करना है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7–6–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर